कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक 3720 / वाद सं0 सी–1181 / एस–माजरीग्रान्ट / 2023 दिनांक 11/1/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

श्री हरजिन्दर सिंह फतेहपुर टाण्डा रोड़, निकट प्राथमिक विद्यालय, फारेस्ट वेन रेजीडेन्सी कैफे, माजरी ग्रान्ट, तहसील डोईवाला देहरादून में स्थल पर बिना स्वीकृति के लगभग 25 बीघा भूमि में अनाधिकृत भू–विन्यास हेतु सी.सी सड़क व भू–खण्डों का डिमार्केशन आदि का कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किये जाने के कारण प्रकरण में वाद स0– सी–1181 / एस–माजरीग्रान्ट / 2023 योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 13/01/25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1– नायब तहसीलदार डोईवाला को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।
2– थानाध्यक्ष डोईवाल को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3– क्षेत्रीय सहायक अभियन्ताओं / अवर अभियन्ताओं एवं प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर स्थल में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4– नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक वाहन एवं जे0सी0बी मशीन संबंधित सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5– श्री हरजिन्दर सिंह फतेहपुर टाण्डा रोड़, निकट प्राथमिक विद्यालय, फारेस्ट वेन रेजीडेन्सी कैफे, माजरी ग्रान्ट, तहसील डोईवाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। स्थल पर उपस्थित रहें अपना समान हटा लें। शेष शर्तें पूर्व पत्रांक 2587 दिनांक 29.10.2024 के अनुसार मान्य होगी।

पीठासीन अधिकारी / उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।